

न्यायालय— सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कं. —43/2011

संस्थित दिनांक—31.01.2011

फाईलिंग क.234503001202011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

सुनील बिसेन पिता लोकचंद बिसेन, उम्र—27 वर्ष,
निवासी—वार्ड नंबर—13, उकवा, थाना रूपझर
जिला—बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—16/09/2015 को घोषित)

1— आरोपी सुनील बिसेन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—01.12.2010 को रात्रि के समय, थाना रूपझर अंतर्गत सतीश मोबाईल गैलरी, हाईस्कूल के पास में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन कारित कर फरियादी सतीश के आधिपत्य के 6 मोबाईल, मेमोरी कार्ड, रिचार्ज व्हाउचर कुल कीमती आठ हजार रुपये की सम्पत्ति की चोरी कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सतीश नागेन्द्र जो कि ग्राम उकवा में रहता है। उसकी हाईस्कूल उकवा के पास सतीश मोबाईल गैलरी के नाम से मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान है। वह प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे दुकान खोलता है और रात्रि 9:00 बजे दुकान बंद कर घर चला जाता है। दिनांक—01.12.10 को सुबह 9:00 बजे उसके द्वारा दुकान खोलकर रिपेयरिंग के लिए रेख में रखे हुए मोबाईलों को सुधारने के लिए निकाला तो देखा कि रेख में रखे हुए 6 मोबाईल नहीं थे। उसके द्वारा सारी दुकान में मोबाईलों को देखे जाने पर मोबाईल नहीं

मिले। मोबाईलों के अलावा मेमोरी कार्ड एवं रिचार्ज व्हाउचर दुकान में नहीं थे। उसकी दुकान के पश्चिम में एक रोशनदान है, जहां से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उक्त मोबाईलों एवं मेमोरी कार्ड एवं रिचार्ज व्हाउचर को चोरी कर लिया, जिसके पश्चात् फरियादी द्वारा पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिसे सहायक उपनिरीक्षक जगदीश गेड़ाम द्वारा 0/10 में रिपोर्ट लेख की गई। जिसके पश्चात् पुलिस थाना रूपझर ने फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर असल नंबर पर कायमी करते हुए अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध क्रमांक-138/10 अंतर्गत धारा-457, 380 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, विवेचना के दौरान आरोपी सुनील से चोरी का मशरूका बाबत दो नोकिया कंपनी के मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी सुनील को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उसने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी दिनांक-01.12.2010 को रात्रि के समय, थाना रूपझर अंतर्गत सतीश मोबाईल गैलरी, हाईस्कूल के पास में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सतीश के आधिपत्य के 6 मोबाईल, मेमोरी कार्ड, रिचार्ज व्हाउचर कुल कीमती आठ हजार रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष

5- सतीश (असा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि के समय की है। उकवा में

उसकी मोबाईल की दुकान है। रात्रि के समय वह अपनी दुकान बंद करके घर गया और जब सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि उपर वाली खिड़की खुली थी तथा सामान चेक करने पर पाया कि लगभग 10 मोबाईल कम थे, तब उसने उकवा चौकी में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख कराई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिखे थे।

6— संजय (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि सतीश नागेन्द्र जो उसका भाई है, जिसकी मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान उकवा में है और वह भी मोबाईल रिपेयरिंग का काम करता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। घटना के दूसरे दिन जब उसने दुकान खोला तो उसे अहसास नहीं हुआ कि दुकान में चोरी हुई है। वह अपना काम करते रहा। दुकान में जब टॉप-अप लेने ग्राहक आए, तब उसने टॉप ढूंढा, किन्तु टॉप अप नहीं मिला। एक ग्राहक जिसने मोबाईल रिपेयरिंग के लिए दिया था, वह अपना मोबाईल लेने आया तो ढूंढने पर उसका मोबाईल नहीं मिला। उसकी दुकान में और भी अन्य मोबाईल रिपेयरिंग हेतु रखे थे, जो नहीं मिले। फिर उसने दुकान के चारों तरफ देखा तो दुकान की दिवाल पर पैर के निशान मिले। दुकान को देखने पर उसे लगा कि किसी अज्ञात चोर ने दुकान के एकजॉट (रोशनदान) की खिड़की से चोरी किये हैं। चोरी में नोकिया कंपनी का 26-26 मॉडल, स्थाई और अन्य मोबाईल थे। उसे ध्यान नहीं है कि कौन-कौन सी कंपनी के मोबाईल थे। उसकी दुकान से लगभग 5,000/-रुपये के टॉप-अप एवं मेमोरी कॉर्ड भी चोरी हुए थे।

6— तुषार पाण्डे (अ.सा.3) एवं भैयालाल चौहान (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उन्हें फरियादी सतीश ने बताया था कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है, किन्तु उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

7— इसी प्रकार संतोष (अ.सा.4) एवं उर्मिला (अ.सा.5) ने भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जगदीश गेड़ाम (अ.सा.9) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-03.12.10 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक

उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता सतीश नागेन्द्र की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/10, धारा-457, 380 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन असल नंबरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिसे प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी के द्वारा असल प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-138/10, धारा-457, 380 भा.द.वि. के तहत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-8 है। इस प्रकार मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में उक्त साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

9— प्रकरण में उपरोक्त साक्षीगण के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को रात्रि के समय फरियादी सतीश की मोबाईल की दुकान से 10 मोबाईल व टॉपऑप, मेमोरी कार्ड आदि की चोरी हो गई थी। प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि उक्त चोरी आरोपी के द्वारा ही की गई थी। प्रकरण में अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा तैयार मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जगदीश गेड़ाम (अ.सा.9) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक-03.12.10 को ही सतीश की निशानदेही पर उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी सतीश साक्षी संजय एवं दिनांक-30.12.10 को भैयालाल, उर्मिला, हितेश्वर, राजेश, संतोष, तुषार के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-05.12.10 को अपचारी बालक शुभम, मनीराम को अपनी अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ किया था। पूछताछ पर अपचारी बालक शुभम ने प्रदर्श पी-9 एवं अपचारी बालक मनीराम ने प्रदर्श पी-10 के मेमोरेण्डम कथन दिए थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें अपचारी बालक ने बताया था कि सुनील के कहने पर और उनकी मदद से सतीश नागेन्द्र की दुकान में घुसकर चोरी किये हैं। उक्त दिनांक को ही अपचारी बालक शुभम एवं मनीराम से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 एवं 12 अनुसार मोबाईल एवं टॉप-अप एवं रस्सी की जप्ती साक्षियों के समक्ष की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक—06.12.10 को आरोपी सुनील को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ किया। पूछताछ पर आरोपी सुनील ने प्रदर्श पी—5 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिस पर उसके एवं आरोपी सुनील के हस्ताक्षर हैं। उक्त चोरी किये गए मोबाईलों में दो मोबाईल को अपने पास रखा होना स्वीकार किया था। अपने पास रखे दोनों मोबाईल को उसने अपने दुकान के काउंटर में रखना बताया था एवं चलो चलकर बरामद करा देने का कथन दिया था। दिनांक—06.12.10 को आरोपी सुनील से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 अनुसार दो नोकिया कंपनी के मोबाईल जप्त किया था, जिस पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी सुनील के हस्ताक्षर लिया था। दिनांक—06.12.10 को आरोपी सुनील को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक—05.12.10 को अपचारी बालकों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—13 एवं 14 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर आरोपी सुनील के विरुद्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष मूल चालान पेश किया था।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी की दुकान में बहुत सारा इलेक्ट्रानिक का सामान था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी की भी उकवा में मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक की दुकान है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्षी की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने चोरी गई संपत्ति में से मात्र दो मोबाईल को आरोपी सुनील से जप्त करना बताया है। इस प्रकार आरोपी सुनील के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—5 एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—6 के आधार पर इस मामले में उसे अभियोजित किया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में उक्त कार्यवाहियों के स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना भी किया जाना आवश्यक होगा।

13— मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही के साक्षीगण नमीता कुमार (अ.सा.7) एवं गणेश उर्फ सौरभ (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वे आरोपी सुनील बिसेन को जानते हैं। घटना लगभग 3—4 वर्ष पूर्व की है। उनके समक्ष आरोपी सुनील बिसेन से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी। आरोपी सुनील बिसेन ने उनके समक्ष पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उनके

हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष पुलिस ने आरोपी सुनील बिसेन से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 पर उनके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उनके समक्ष आरोपी सुनील बिसेन को गिरफ्तार किये थे, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष आरोपी सुनील से जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-6 के अनुसार दो नोकिया कंपनी के पुराने इस्तेमाली मोबाईल जप्त किये थे। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उनके सामने आरोपी सुनील से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की तथा मेमोरेण्डम एवं जप्तीपंचनामा पुलिस ने मात्र हस्ताक्षर कराया था। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14— मामले में जप्ती अधिकारी के द्वारा कार्यवाही करने से पूर्व थाना से रवानगी एवं वापसी होने के संबंध में रोजनामचा सान्हा पेश नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन मामलों के अनुसार जप्ती अधिकारी के द्वारा पूर्व में दिनांक-05.12.2010 को किशोर अपराधी शुभम एवं मनीराम से मेमोरेण्डम कथन लेकर कथित जप्ती की कार्यवाही की गई है उसके पश्चात् दिनांक-06.12.2010 को आरोपी सुनील से कथित मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही किया जाना बताया गया है। यद्यपि उक्त सभी कार्यवाहियों में स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में गणेश तथा नमीता कुमार को ही शामिल किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में जबकि आरोपी सुनील से मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही अलग दिनांक व स्थान में की गई है, तब उन्हीं साक्षीगण को शामिल किया जाना और कार्यवाही के पूर्व रोजनामचा सान्हा में उक्त का इंड्राज किया जाना व उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्रकरण में पेश न किये जाने से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है। जप्ती अधिकारी ने उक्त कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण को अपने साथ हमराह लिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी दशा में मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही के महत्वपूर्ण साक्षीगण का मौके पर उपस्थित होना संदेहास्पद प्रकट होता है। जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का उक्त स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन न किये जाने से भी जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई उक्त मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही पूर्णतः संदेहास्पद प्रकट होती है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

15— आरोपी सुनील को कथित चोरी किये जाते हुए किसी भी साक्षी ने नहीं देखा है तथा मामलें में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी सुनील से मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई उक्त संदेहास्पद कार्यवाही से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपी सुनील के बताए अनुसार कथित चोरी किये गए मोबाईल की बरामदगी की गई थी। इस कारण यह उपधारणा भी नहीं की जा सकती कि आरोपी सुनील के द्वारा अन्य आरोपी के साथ मिलकर फरियादी सतीश के मोबाईल दुकान में चोरी करने के आशय से रात्रि के समय अन्य आरोपीगण को प्रवेश करने में सहयोग देकर उनसे कथित मोबाईल की चोरी कराई गई थी या आरोपी ने उक्त चोरी की थी।

16— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुनील बिसेन ने दिनांक-01.12.2010 को रात्रि के समय, थाना रूपझर अंतर्गत सतीश मोबाईल गैलरी, हाईस्कूल के पास में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन कारित कर फरियादी सतीश के आधिपत्य के 6 मोबाईल, मेमोरी कार्ड, रिचार्ज व्हाउचर कुल कीमती आठ हजार रुपये की सम्पत्ति की चोरी कारित की। अतएव आरोपी सुनील को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— आरोपी सुनील बिसेन न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो नोकिया के मोबाईल मॉडल 2326 व मॉडल 3110 सी को उनके स्वामी को अपील अवधि पश्चात् सुपुर्द किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)